



बिहार सरकार  
कृषि विभाग

**खरीफ महाभियान—2019 के  
कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन  
अनुदेश, पदाधिकारियों का  
दायित्व तथा प्रखंडवार तिथि का  
निर्धारण**



**बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण  
संस्थान (बामेती), पटना**

गति

- भारतीय खेती का एक विद्यमान अधिकारी

निःसंहिता है जिसका उद्देश्य उपादान के लाभ विकास करना है।

- इस लक्ष्य के लिए जल्द जून 2019 के अंत तक बिहार राज्य

विभाग का स्वरूप	विभाग का नाम	विभाग का लोगो	विभाग का मुख्यालय	क्रमांक
अमालाली प्रशासनिक उपादान के लिए अभियान का नियंत्रण करने वाली संस्था	खरीफ महाभियान 2019 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश		बिहार सरकार (खरीफ महाभियान 2019 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश)	१

## खरीफ महाभियान 2019 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश

### 1. परिचय :-

कृषि विभाग द्वारा खरीफ मौसम में विभिन्न फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। किसानों को उपादान तथा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विहित अनुदान सुलभता एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए खरीफ महाभियान 2019 का आयोजन करने का प्रस्ताव है। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी क्षमता के विकास पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला-2019 का आयोजन दिनांक 08-09 मई, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन बामेती, बिहार, पटना के सभा भवन में निर्धारित है। राज्य स्तरीय कर्मशाला के उपरांत दिनांक 14 मई, 2019 को प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रमंडल स्तरीय कर्मशाला के उपरांत दिनांक 21 मई, 2019 को सभी जिला मुख्यालय में प्रशासनिक पदाधिकारी तथा कृषि विभाग से जुड़े पदाधिकारियों/ उपादान बिक्रेताओं/प्रगतिशील किसानों को श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज एवं सीड ड्रिल से धान की खेती, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती, मौसम परिवर्तन के परिपेक्ष्य में धान की सीधी बुवाई, विभिन्न खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, जैविक खेती, कृषि यांत्रीकरण, कृषि ऋण, पशुपालन, मत्स्यपालन सहित अन्य संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किया जायेगा। जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला के उपरांत प्रत्येक प्रखण्ड के मुख्यालय में प्रखण्ड स्तरीय खरीफ महाभियान-2019 आयोजित किया जाएगा। प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण दिनांक 30 मई 2019 से 09 जून 2019 तक आयोजित किया जायेगा। खरीफ महाभियान-2019 में किसानों को विभिन्न खरीफ फसलों, बागवानी फसलों, बागवानी से संबंधित बीज/उपादान तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत अनुदान पर उपादान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम दिन लाभार्थी/किसान को कृषि की उन्नत तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं दूसरे दिन से कृषि योजनाओं के लिए अनुदान पर उपादान वितरण किया जाएगा।

## 2. खरीफ महाभियान 2019 का विभिन्न चरणों में आयोजन –

खरीफ महाभियान 2019 को सफल बनाने हेतु विभिन्न चरणों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए तिथि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है –

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	निर्धारित तिथि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम का उद्देश्य
1.	राज्य स्तरीय खरीफ महाभियान – 2019 का शुभारंभ (राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन)	08-09 मई, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन	बामती परिसर, पटना	योजनावार, जिलावार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी एवं रणनीति तथा प्रसार पदाधिकारियों का क्षमतावर्द्धन।
2.	प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (प्रमंडलीय मुख्यालय जिला यथा पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सरहसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन समिलित करते हुए)	14 मई, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी प्रमंडलीय मुख्यालय	कृषि एवं संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों को खरीफ मौसम की प्रस्तावित योजनाओं / कार्यक्रमों की तकनीकी एवं प्रशासनिक दायित्वों की जानकारी सहित क्षमता का विकास।
3.	जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (प्रमंडलीय मुख्यालय जिला यथा पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सरहसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण को छोड़कर)	21 मई, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी जिला मुख्यालय	खरीफ मौसम की खेती एवं अन्य कृषि कार्य के लिए जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों / प्रसार कर्मियों एवं स्टेक होल्डर्स का विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं उनके लक्ष्य की जानकारी एवं प्रशिक्षण
4.	श्रव्य यंत्रों एवं तकनीकी बुलेटिनों से युक्त खरीफ महाभियान रथों को हरी झण्डी दिखाकर जिलों के लिए रवानगी।	28 मई, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन	पटना मुख्यालय	विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों / महाभियान के संबंध में आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराना।
5.	प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण कार्यक्रम	30 मई—09 जून, 2019 को 10.30 बजे पूर्वाहन	सभी प्रखंड मुख्यालय	विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों के लाभार्थी किसानों सहित अन्य किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं चयनित किसानों के बीच अनुदान पर उपादान का वितरण।

८४

उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विशेष अनुदेश निम्न प्रकार से है—

- राज्य/प्रमंडल/जिला स्तरीय खरीफ महाभियान 2019 में विगत 03 वर्षों में भाग लेने वाले किसानों को आमंत्रित नहीं कर कृषि क्षेत्र में नवाचार/प्रगतिशील किसानों को हीं आमंत्रित किया जाए।
- राज्य स्तरीय महाभियान के पूर्व सभी योजनाओं के लिए बीज एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक जिला में 02 रथ यथा खरीफ महाभियान रथ एवं बीज वाहन विकास वाहन रथ को प्रचार-प्रसार एवं किसानों को बीज उपचार तथा बीजोपचार कीटनाशी रसायन ऑन द स्पॉट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन्हें पंचायतों में घुमाया जाएगा जिसकी व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाए। बीज वाहन विकास वाहन रथ का व्यय राशि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तथा खरीफ महाभियान रथ का व्यय राशि परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा दिया जाएगा। प्रत्येक वाहन पर उपर्युक्त उपादानों की उपलब्धता के लिए एक उपादान बिक्रेता को भी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) द्वारा सम्बद्ध किया जाएगा।
- जिला स्तरीय कर्मशाला में संबंधित जिला के प्राधिकृत पदाधिकारी निश्चित रूप से भाग लेंगे तथा अपने जिले के खरीफ उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

**नोट – प्रमंडल/जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी की सहमति/स्वीकृति से की जा सकती है।**

3. खरीफ उत्पादन कार्यक्रम 2019 के प्रस्तावित प्रमुख आयाम का विवरण –

- i. सी०एफ०एफ०/डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बीच अनुदान का वितरण।
- ii. बीज टीकाकरण अभियान।
- iii. कृषि उपादान अनुदान का वितरण।
- iv. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण।
- v. किसानों की आमदनी दुगुनी करने के सुझाव/उपाय
- vi. पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपनी
- vii. श्री विधि से धान की खेती
- viii. मौसम के बदलते परिवेश में धान की सीधी बुवाई
- ix. किसान पुरस्कार कार्यक्रम
- x. कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषक उत्पादक संगठन का गठन
- xi. किसान पाठशाला का आयोजन
- xii. समेकित कृषि प्रणाली
- xiii. किसान चौपाल का आयोजन

4. प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले खरीफ कर्मशाला में भाग लेने के लिए राज्य स्तर से एक वरीय पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव।

- पटना प्रमंडल — डा० जितेन्द्र प्रसाद, निदेशक, बामेती
- मुजफ्फरपुर प्रमंडल — श्री डी०पी० त्रिपाठी, अपर निदेशक (शास्य)

- सारण प्रमंडल
  - सहरसा प्रमंडल
  - पूर्णिया प्रमंडल
  - मुंगेर प्रमंडल
  - भागलपुर प्रमंडल
  - मगध प्रमंडल
  - दरभंगा प्रमंडल
- डा० ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक (शास्य) फसल एवं प्रक्षेत्र
- श्री अरूण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)
- श्री बैंकटेश नारायण सिंह, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस
- श्री उमेश कुमार चौधरी, संयुक्त निदेशक (रसायन), गुण नियंत्रण
- श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, संयुक्त निदेशक (शाष्य) योजना
- श्री संजय कुमार, संयुक्त निदेशक (शास्य) मुख्यालय
- श्री राम प्रकाश सहनी, संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला

प्रमंडल स्तरीय आयोजित होने वाले कर्मशाला के साथ हीं प्रमंडल स्तरीय मुख्यालय जिला यथा पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सरहसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण का जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन आत्मा योजना के कैफेटेरिया ऑफ एकिटविटी के प्रशिक्षण मद से प्रमंडलीय मुख्यालय के परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जाएगा।

5. जिला में अभियान के विभिन्न चरणों की समीक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए जिलावार पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। जिलावार पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्त का विवरण निम्न प्रकार से है—

क्र.सं.	जिला का नाम	जिला के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3
1.	अररिया	श्री दिनेश प्रसाद, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)
2.	अरवल	श्री सुधीर कुमार मिश्रा, संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)
3.	औरंगाबाद	श्री बैंकटेश नारायण सिंह, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस
4.	बांका	श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालय
5.	बेगुसराय	श्री मनोज कुमार, उप निदेशक, टाल दियारा एवं चौर
6.	भोजपुर	श्री जय प्रकाश नारायण, संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)
7.	बक्सर	डा० ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक (शास्य) फसल एवं प्रक्षेत्र
8.	पूर्वी चम्पारण	श्री राम बाबू, उप निदेशक—सह—प्रभारी पदाधिकारी, रा०खा०सु०मि०
9.	गोपालगंज	श्री सर्वजीत कुमार, उप निदेशक
10.	जमुई	श्री मिलन राय, उप निदेशक (बीज विश्लेषण)
11.	जहानाबाद	श्री आदित्य नारायण राय, संयुक्त निदेशक (शिक्षा)—सह—नियंत्रक, माप तौल
12.	कैमूर	श्री राम गोपाल पाण्डेय, उप निदेशक (शास्य) योजना
13.	कटिहार	श्री उदय सिंह, उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण
14.	खगड़िया	श्री रमेश प्रसाद राउत, उप निदेशक (बीज)

क्र.सं.	जिला का नाम	जिला के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
15.	किश्जगंज	श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक—सह— प्रभारी पदाधिकारी, रा०कृ०वि०यो०
16.	लखीसराय	डा० प्रमोद कुमार, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालय
17.	मधेपुरा	श्री देवनाथ महतो, उप निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालस
18.	मधुबनी	श्री अनिल कुमार झा, उप निदेशक (शस्य) पी०पी०एम०
19.	नालंदा	श्री ओम प्रकाश, उप निदेशक (शस्य) सूचना
20.	नवादा	श्री मनोज कुमार, सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) पटना प्रमंडल
21.	रोहतास	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण
22.	समस्तीपुर	श्री नीतेश कुमार राय, उप निदेशक (उद्यान)
23.	शेखपुरा	श्री पवन कुमार, संयुक्त निदेशक, उद्यान
24.	शिवहर	श्री ब्रजेश मिश्रा, उप निदेशक (शस्य) पी०पी०एम०
25.	सीतामढ़ी	श्री गुलाब यादव, निदेशक, भूमि संरक्षण
26.	सिवान	श्री अविनाश कुमार, उप निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालय
27.	सुपौल	श्री राम प्रकाश सहनी, संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला
28.	वैशाली	श्री संजय कुमार, उप निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण
29.	पश्चिम चम्पारण	श्री सुशील कुमार, उप निदेशक (सांख्यिकी)

6. योजना प्रभारी पदाधिकारी योजनावार/कार्यक्रमवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण कर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों एवं सभी संबंधितों को संसूचित करेंगे।
7. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) अपने प्रमंडल अंतर्गत खरीफ महाभियान 2019 की तैयारी से संबंधित 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण करेंगे जिसमें विभिन्न चरणों में महाभियान का आयोजन, योजनावार/जिलावार/प्रखंडवार लक्ष्य का निर्धारण, अनुदान पर उपादान वितरण की व्यवस्था, प्रखंड स्तरीय शिविर/खरीफ महाभियान एवं बीज वाहन विकास वाहन की व्यवस्था तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशी एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता, प्रखंडवार उपादान बिक्रेताओं को चिन्हित करना आदि को सम्मिलित किया जाएगा।
8. खरीफ महाभियान 2019 के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उपादान वितरण के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग गठित करने का निर्णय लिया गया है –
  - अनुश्रवण कोषांग का संचालन संयुक्त/उप निदेशक (सांख्यिकी) द्वारा किया जाएगा अनुश्रवण के लिए योजनावार प्रगति प्रतिवेदन का एक प्रपत्र प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत विकसित किया जाएगा।
  - आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन के लिए एक गूगल डॉक पर प्रतिवेदन प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसमें जिलों द्वारा योजनावार/कार्यक्रमवार प्रगति प्रतिवेदन अपलोड किया जाएगा।

- जिलों से ईमेल/गूगल डॉक के माध्यम से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे समेकित कर कृषि निदेशक, बिहार, पटना के माध्यम से प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के समक्ष सांखिकी कोषांग द्वारा उपस्थापित किया जाएगा।

#### 9. कार्यक्रम का उद्देश्य –

- धान की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु पंक्ति में ही धान लगाने, समय से बुवाई, सिंचाई, जल प्रबंधन के साथ-साथ श्री विधि से धान की खेती, जीरो टिलेज एवं सीड ड्रिल के उपयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार, धान की सीधी बुवाई, पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती, बागवानी फसलों से संबंधित कार्यक्रम इस महोत्सव के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान पर उपादान चयनित किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- कृषि विभाग द्वारा राज्य में विशेषकर खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कलस्टर एप्रोच के माध्यम से किसानों को सभी प्रकार के उपादान तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत CFMS/DBT द्वारा अनुदान की व्यवस्था खरीफ महाभियान-2019 के माध्यम से की जाएगी।
- खरीफ फसलों में कीट-व्याधि के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से अनुशंसित बीजों की उपलब्धता के साथ-साथ किसानों को खरीफ मौसम में उगायी जाने वाली फसलों की खेती को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- आत्मा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित किसान पाठशाला तथा प्रत्यक्षण के लिए चयनित किसानों को प्रशिक्षण के साथ – साथ विहित उपादान का वितरण खरीफ महाभियान-2019 के दौरान किया जाएगा।
- खरीफ अभियान-2019 में बागवानी फसलों विशेषकर सब्जियों जैसे बैंगन, भिंडी, बोरा एवं अन्य सब्जी फसलों के जैविक विधि से उत्पादन पर किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ चयनित किसानों को बागवानी की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को धान्य फसलों, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती एवं ईख से संबंधित कठिनाइयों का निराकरण प्रखंड स्तर पर वैज्ञानिकों तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों के प्रसार पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। कृषि एवं संबद्ध विभागों के प्रसार कार्यकर्ताओं, विष्वविद्यालय के वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य किया जायेगा।
- कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी तथा योजना का लाभ लेने हेतु अनुदान प्राप्ति संबंधी आवेदन भी प्राप्त किया जायेगा जिसे उचित माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों का आवेदन पत्र किसानों को भरने में पदाधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। राज्य स्तर पर विभिन्न किसानोपयोगी योजनाओं के उद्देश्य को पूरा करने में जमीनी समस्याओं का आकलन किया जायेगा तथा इसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने हेतु रणनीति भी तैयार की जायेगी एवं किसानों को आ रही कठिनाइयों को रेखांकित कर उनका निराकरण जिला स्तर पर करने का प्रयास भी किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान उत्पादक संगठन एवं कृषक हित समूह का निर्माण करके किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा बाजारोन्मुखी उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु कृषि विपणन में अधिक सहभागिता के लिए जागरूक करना भी शामिल किया जायेगा।

- 9.9. स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, वर्मी कम्पोस्ट, एच.डी.पी.ई. पाइप, पॉली हाउस, कृषि यांत्रिकरण एवं जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत बायो गैस आदि के आवेदन पत्र लक्ष्य के अनुसार प्राप्त किए जायेंगे।
- 9.10. कृषि ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा इस संबंध में जानकारी दने के लिए संबंधित जिला के बैंक पदाधिकारियों तथा सहकारिता विभाग को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।
- 9.11. भूमि से संबंधित LPC किसानों को निर्गत कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय किया जाएगा।
- 9.12. इस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बल दिया जायेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की भागीदारी खरीफ महाभियान-2019 में सुनिश्चित की जायेगी।
- 9.13. कौशल प्रशिक्षण/प्रशिक्षित किसान/कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषि/उद्यान की योजना अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी किसानों को क्रेडिट/ऋण उपलब्ध कराने हेतु उनका परियोजना प्रस्ताव संबंधित बैंक को भेजा जाएगा तथा स्वीकृति संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

## 10. प्रस्तावित कार्ययोजना

- 10.1. खरीफ महाभियान-2019 के अंतर्गत कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण शिविर का आयोजन निर्धारित तिथि को किया जाएगा।
- 10.2. प्रखंड स्तरीय खरीफ महाभियान में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था आत्मा के माध्यम से की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार सभी समाचार पत्रों/सूचना प्रपत्र आदि के द्वारा कराया जायेगा। साथ ही इन कार्यक्रमों की सूचना प्रखंड के जन प्रतिनिधियों को भी दी जाएगी।
- 10.3. कृषकों को कृषि एवं उद्यान से संबंधित किसानोपयोगी कार्यक्रम, जो सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं, का तकनीकी बुलेटिन उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10.4. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष प्रखण्ड तकनीकी दल (आत्मा) इस कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड तकनीकी दल के अन्य सदस्यों के सहयोग से करेंगे। वे इस कार्यक्रम में प्रखंड कृषक सलाहकार समिति का भी सहयोग प्राप्त करेंगे एवं कार्यक्रम में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु इनकी सहायता प्राप्त करेंगे।
- 10.5. जिलों से संबंधित प्रखण्डों में वैज्ञानिक, जो कृषि विज्ञान केन्द्र या डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के हों, को लाने की व्यवस्था परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10.6. कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान प्रयास करेंगे। यदि केन्द्रों में वैज्ञानिकों की कमी है तो डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय/निकटवर्ती कृषि कॉलेजों/अनुसंधान केन्द्रों से वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करायेंगे।
- 10.7. किसान पाठशाला के संचालक एवं लाभार्थी कृषक भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

10.8. सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) एकीकृत नाषीजीव प्रबंधन (IPM) के बारे में कृषकों को प्रशिक्षित करेंगे।

10.9. प्रत्येक प्रखंड में खरीफ महाभियान एवं बीज वाहन विकास वाहन रथों के माध्यम से खरीफ महाभियान-2019 के कार्यक्रमों, जो किसान हित में चलाये जा रहे हैं, को बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचारित कराया जायेगा। उक्त रथ में श्रव्य उपकरण (पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाहन में बीज एवं बीजोपचार कीटनाशी रसायन रखा जाएगा तथा ऑन द स्पॉट किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

10.10. फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई एक महत्वपूर्ण श्रोत है। प्रखंड स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई के अनुदान हेतु आवेदन पत्र संग्रहित किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस कार्य को कार्यान्वित करेंगे।

10.11. जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक (आत्मा) कृषि रथों को सुसज्जितकर निर्धारित तिथि को बामेती भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10.12. सहकारिता विभाग द्वारा कृषि ऋण एवं फसल बीमा हेतु कैम्प लगाया जायेगा।

10.13. कृषकों की सफलता की कहानी एवं विभिन्न विषयों पर तकनीकी सी.डी. भी कृषकों को दिखायी जायेगी। कार्यक्रम में मल्टी मिडिया प्रोजेक्टर का उपयोग किया जायेगा तथा आत्मा/बामेती द्वारा निर्माण की गई किसानों के सफलता की कहानी मल्टी मिडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जायेगी।

10.14. प्रमंडल स्तरीय खरीफ कर्मशाला का उद्घाटन प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय खरीफ महाभियान 2019 का शुभारंभ जिला पदाधिकारी से करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के माननीय स0वि0स0/स0वि0प0 से अनुरोध किया जाएगा। यदि माननीय मंत्री/सांसद भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो माननीय मंत्री/सांसद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, माननीय स0वि0स0/स0वि0प0 मुख्य अतिथि होंगे। इनकी अनुपस्थिति में प्रखण्ड प्रमुख इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

10.15. उप कृषि निदेशक (शस्य) सूचना कार्यक्रम के पूर्व सभी समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.16. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि से संबंधित योजनाओं (कार्यक्रम तथा अनुदान की राशि), सहायक निदेशक उद्यान द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं के लिए अनुदान राशि का वितरण अभियान के अवसर पर किया जाएगा। परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किसान पाठशाला एवं फसल प्रत्यक्षण हेतु अनुदान पर उपादान का वितरण शिविर में किया जाएगा।

## **11. प्रखंड स्तरीय टीम का गठन**

प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु समन्वय के लिए टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है-

- डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विष्वविद्यालय/बिहार कृषि विष्वविद्यालय/राज्य कृषि महाविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक
- प्रखंड विकास पदाधिकारी
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी (संयोजक)

- प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी
- प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक
- कृषि समन्वयक
- सहायक तकनीकी प्रबंधक
- उद्यान पदाधिकारी/निरीक्षक
- अध्यक्ष, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति
- पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक
- प्रखंड कृषक सलाहकार समिति (आत्मा) के सदस्य/अध्यक्ष
- किसान सलाहकार
- प्रगतिशील कृषक
- गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि
- अन्य पदाधिकारी

### टीम के कार्य

- प्रखंड स्तरीय टीम प्रखंड में जाकर कृषि प्रसार एवं कृषक कल्याणार्थ विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं तथा कृषि साख से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रस्तावित कार्य योजना के सभी कार्य संपादित कराना।

### अनुश्रवण

- कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर पर प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना की देख-रेख में निदेशक कृषि/उद्यान/अपर निदेशक (शस्य)/भूमि संरक्षण/बामेती द्वारा किया जाएगा तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त की देख-रेख में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शस्य) द्वारा इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा।
- कृषि विभाग द्वारा जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी पूरे कार्यक्रम का समन्वय एवं अनुश्रवण करेंगे।
- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा।
- कार्यक्रम आयोजन की जवाबदेही संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

### **12. खरीफ महाभियान 2019 के आयोजन पर संभावित व्यय—**

कार्यक्रम के लिए निधि की व्यवस्था जिलों में आत्मा के लिए निर्धारित विभिन्न कैफेटेरिया यथा B-2, B-4, B-8 & B-9 में उपलब्ध राशि से की जायेगी। साथ हीं जिला कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक उद्यान भी इस कार्य हेतु प्रशिक्षण के लिए राशि परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना निदेशक (आत्मा) इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। अतः वे संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर किस विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी का निर्धारण जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद की सहमति के उपरांत करेंगे।

### 13. खरीफ महाभियान के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु विभिन्न स्तर पर समितियाँ का गठन

कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु समितियों का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है—

#### प्रखंड स्तरीय समिति

- प्रखंड विकास पदाधिकारी — अध्यक्ष
- अध्यक्ष, प्रखंड कृषक सलाहकार समिति — सदस्य
- प्रखंड तकनीकी प्रबंधक — सदस्य
- प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्यगण — सदस्य
- प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी — सदस्य
- प्रखंड कृषि पदाधिकारी—सह—संयोजक प्रखंड तकनीकी दल — सदस्य सचिव

#### जिला स्तरीय समिति

- जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष
- उप विकास आयुक्त — उपाध्यक्ष
- आत्मा प्रबंधन समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्य गण — सदस्य
- जिला कृषि पदाधिकारी — सदस्य
- जिला सहकारिता पदाधिकारी — सदस्य
- जिला पशुपालन पदाधिकारी — सदस्य
- जिला मत्स्य पदाधिकारी — सदस्य
- जिला गव्य पदाधिकारी — सदस्य
- परियोजना निदेशक, आत्मा — संयोजक

जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद अपने जिले में खरीफ महाभियान 2019 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

#### प्रमंडल स्तरीय समिति

- प्रमंडलीय आयुक्त — अध्यक्ष
- प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी — सदस्य
- नाबार्ड /मुख्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि — सदस्य
- संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ — सदस्य
- प्रमंडलीय पशुपालन पदाधिकारी — सदस्य
- प्रमंडलीय मत्स्य पदाधिकारी — सदस्य
- प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शास्य) — संयोजक

प्रमंडलीय आयुक्त अपने जिले में खरीफ महाभियान 2019 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।



क्रमांक	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
		<p>4. प्रखंडवार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण करना।</p> <p>5. प्रखंडवार कम से कम तीन उपादान बिक्रेताओं को चिन्हित करेंगे।</p> <p>6. खरीफ महाभियान 2019 का जिले में वृहद प्रचार-प्रसार करेंगे।</p> <p>7. बीज वितरण/प्रत्यक्षण हेतु कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार को अलग-अलग पंजी उपलब्ध करायेंगे। उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जाएंगी।</p> <p>8. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिष्ण, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, नमूप योजना इत्यादि के लक्ष्य के अनुसार कृषकों का चयन करेंगे।</p>
7.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध कराना तथा आवेदन पत्र प्राप्त करना।
8.	जिला लीड बैंक प्रबंधक	<p>1. किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना।</p> <p>2. जिला के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) से लंबित आवेदन का त्वरित निष्पादन करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन का भी निष्पादन करेंगे।</p>
9.	सहायक निदेशक उद्यान	<p>1. खरीफ महाभियान 2019 के दौरान समय के अनुसार अनुशंसित फलों एवं सब्जियों के पौध सामग्री/बीज की उपलब्धता सुनिष्ठित करेंगे।</p> <p>2. खरीफ महाभियान 2019 के पूर्व जिलावार बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के उपादानों (पौध सामग्री, बीज, पोर्टटेबुल वर्मी बेड, स्प्रिंकलर सेट, ड्रीप सिंचाई प्रणाली, एच.डी.पी.ई. पाईप, पॉली हाउस आदि) के स्वीकृतादेशों तथा किसानों की संख्या के अनुसार उपादानों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में उद्यान निदेशालय द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जिसमें अनुदान की व्यवस्था है का आवेदन का निष्पादन करेंगे तथा चयनित कृषकों को स्वीकृतोदश उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>4. उपादानों के वितरण हेतु क्षेत्र सलाहकार/प्राधिकृति कृषि समन्वयक को अलग-अलग पंजी उपलब्ध करायेंगे। उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जायेंगी।</p> <p>5. बागवानी के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका तथा संबंधित साहित्य महोत्सव के दौरान किसानों को उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>6. प्रखंडवार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण।</p>
10.	वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र	<p>1. खरीफ महाभियान 2019 में खरीफ की फसलों तथा बागवानी से संबंधित तकनीकी जानकारी महाभियान के दौरान किसानों को देंगे।</p> <p>2. डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय से महाभियान के लिए प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों से महाभियान के पूर्व समन्वय करेंगे। प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों को जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रमों की जानकारी तथा संबंधित पाठ्यसामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिष्ठित करेंगे।</p> <p>3. खरीफ महाभियान के लिए प्रखंडवार तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करेंगे।</p>

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
11.	परियोजना निदेशक, आत्मा	<p>1. प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण को सफल बनाने हेतु प्रखंडवार एवं तिथिवार पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों की सूची तैयार कर कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी एक प्रति निदेशक कृषि, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>2. जिले के प्रभारी माननीय मंत्री से जिले के लिए निर्धारित तिथि के प्रथम दिन जिले के मुख्यालय प्रखंड में अभियान की शुभारंभ का अनुरोध करेंगे।</p> <p>3. खरीफ महाभियान 2019 से संबंधित रूप रेखा की एक प्रति सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे।</p> <p>4. खरीफ महाभियान 2019 में इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रत्यक्षण एवं किसान पाठशाला के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। प्रत्यक्षण तथा किसान पाठशाला के लिए निर्धारित उपादान का वितरण प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण शिविर के दौरान करेंगे।</p> <p>5. कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करेंगे।</p> <p>6. प्रखंडों में लगने वाले महाभियान के लिए खरीफ महाभियान रथ तथा आवश्यक तकनीकी पुस्तिका पर्याप्त मात्रा में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>7. कौशल विकास योजना/कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/अन्य समूह अंतर्गत प्रशिक्षित किसानों को क्रेडिट/ऋण बैंक से दिलाने में सहयोग करना।</p>
12.	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	खरीफ महाभियान में शामिल किसानों को फसलों में बीज उपचार एवं समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के महत्व की जानकारी देंगे।
<b>प्रखण्ड</b>		
13.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रखण्ड अन्तर्गत खरीफ महाभियान तथा उपादान वितरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
14.	अंचल पदाधिकारी	खरीफ महाभियान के दौरान किसानों को LPC उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे।
15.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	<p>1. प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण शिविर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>2. विभिन्न योजनाओं अंतर्गत प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्यों यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि उपादानों का वितरण, प्रत्यक्षण, यांत्रीकरण आदि हेतु किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक के माध्यम से किसानों का चयन कर महाभियान से पूर्व सूची तैयार करेंगे।</p> <p>3. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड के लिए निर्धारित धान, मक्का, अरहर एवं अन्य खरीफ फसलों से संबंधित अनुज्ञाप्ति प्राप्त बीज विक्रेता को खरीफ महाभियान में प्रभेद वार बीज की व्यवस्था के साथ भाग लेने हेतु उपस्थिति सुनिष्चित करेंगे।</p> <p>4. श्री विधि से धान प्रत्यक्षण एवं अन्य योजनाओं के लिए चयनित किसानों को बीज क्रय के लिए रसीद तथा अनुदान की राषि का भुगतान DBT के माध्यम से सुनिष्चित करेंगे।</p> <p>5. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत आवश्यक बीज की उपलब्धता तथा महाभियान के दौरान चयनित किसानों</p>

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्य एवं दायित्व
		<p>को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>6. कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, दियारा विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, आत्मा योजना, फार्म स्कूल इत्यादि के लिए प्राप्त लक्ष्य के अनुसार कृषकों को चयन करेंगे तथा उन्हें स्वीकृति पत्र निर्गत करेंगे।</p> <p>7. प्रखंडों में पंचायतों की संख्या के अनुसार प्रतिदिन उपादान वितरण के लिए औसतन तीन से पाँच पंचायतों को सम्बद्ध करेंगे।</p>
16.	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
17.	बैंकों द्वारा शिविर में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	संबंधित क्षेत्र के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) के लंबित आवेदन पत्रों का त्वरित निष्पादन करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की जानकारी एवं नया आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
18.	क्षेत्र सलाहकार(उद्यान)/ प्रतिनियुक्त कृषि समन्वयक	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित प्रखंड में बागवानी से संबंधित आवेदनों की सूची तैयार कर किसानवार प्रतिवेदन सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध करायेंगे।</li> <li>2. खरीफ महाभियान में तकनीकी सत्र में किसानों के साथ परिचर्चा के दौरान स्वयं उपस्थित रहेंगे।</li> <li>3. उद्यान निदेशालय द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे तथा योग्य किसानों का चयन करेंगे।</li> </ol>
19.	कृषि समन्वयक / प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक / किसान सलाहकार	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर के आयोजन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सहयोग करेंगे।</li> <li>2. प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिये प्रखंड स्तर के कृषि/संबद्ध विभाग के सभी पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।</li> <li>3. संबंधित पंचायतों में खरीफ महाभियान का प्रचार—प्रसार एवं प्रखंड में आयोजित शिविर में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।</li> <li>4. पंचायतवार चयनित किसानों की सूची के आधार पर किसानों को खरीफ महाभियान में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।</li> </ol>

निदेशक  
बामेती, बिहार, पटना

**खरीफ महाभियान 2019 अंतर्गत जिलावार एवं प्रखंडवार प्रशिक्षण एवं उपादान**  
**वितरण शिविर हेतु तिथि का निर्धारण**

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि	उपादान वितरण की तिथि
<b>1. जिला— पटना</b>			
1.	पटना सदर	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	बखिलयारपुर	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	खुसरूपुर	30.05.2019	30 मई—01 जून
4.	फतुहा	31.05.2019	31 मई—02 जून
5.	दनियांवां	31.05.2018	31 मई—02 जून
6.	बाढ़	01.06.2019	02—04 जून
7.	अथमलगोला	01.06.2019	02—04 जून
8.	मोकामा	02.06.2019	03—05 जून
9.	घोसवरी	02.06.2019	03—05 जून
10.	पंडारक	03.06.2019	04—06 जून
11.	बेलछी	03.06.2019	04—06 जून
12.	मसौढ़ी	04.06.2019	05—07 जून
13.	धनरुआ	04.06.2019	05—07 जून
14.	पुनपुन	05.06.2019	06—08 जून
15.	संपतचक	05.06.2019	06—08 जून
16.	दानापुर	06.06.2019	07—09 जून
17.	फुलवारीशरीफ	06.06.2019	07—09 जून
18.	पालीगंज	07.06.2019	08—10 जून
19.	दुल्हनबाजार	07.06.2019	08—10 जून
20.	विक्रम	08.06.2019	09—11 जून
21.	बिहटा	08.06.2019	09—11 जून
22.	मनेर	09.06.2019	10—12 जून
23.	नौबतपुर	09.06.2019	10—12 जून
<b>2. जिला — नालंदा</b>			
1.	बिहारशरीफ	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	राजगीर	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	सिलाव	31.05.2019	31 मई—02 जून
4.	गिरियक	31.05.2018	31 मई—02 जून
5.	कतरीसराय	01.06.2019	02—04 जून
6.	अस्थावाँ	01.06.2019	02—04 जून
7.	रहुई	02.06.2019	03—05 जून
8.	बिन्द	02.06.2019	03—05 जून
9.	सरमेरा	03.06.2019	04—06 जून
10.	हरनौत	03.06.2019	04—06 जून
11.	चण्डी	04.06.2019	05—07 जून
12.	करायपरसुराय	04.06.2019	05—07 जून
13.	हिलसा	05.06.2019	06—08 जून
14.	एकंगरसराय	05.06.2019	06—08 जून
15.	इसलामपुर	06.06.2019	07—09 जून
16.	परवलपुर	06.06.2019	07—09 जून
17.	वेन	07.06.2019	08—10 जून
18.	नूरसराय	07.06.2019	08—10 जून
19.	थरथरी	08.06.2019	09—11 जून
20.	नगरनौसा	09.06.2019	10—12 जून

3.	जिला — भोजपुर	4.	जिला — बक्सर	5.	जिला — कैमूर	6.	जिला — रोहतास
1.	आरा सदर	30.05.2019	30 मई—01 जून	1.	कोइलवर	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	संदेश	31.05.2019	31 मई—02 जून	2.	बड़हरा	31.05.2018	31 मई—02 जून
3.	बिहियाँ	01.06.2019	02—04 जून	3.	शाहपुर	01.06.2019	02—04 जून
4.	जगदीशपुर	02.06.2019	03—05 जून	4.	तरारी	03.06.2019	04—06 जून
5.	पीरो	04.06.2019	05—07 जून	5.	चरपोखरी	04.06.2019	06—08 जून
6.	गडहनी	06.06.2019	07—09 जून	6.	अगिआँव	06.06.2019	08—10 जून
7.	सहार	08.06.2019	09—11 जून	7.	उदवंतनगर	08.06.2019	10—12 जून
8.	पार्वती	09.06.2019	10—12 जून	8.	बक्सर	30.05.2019	30 मई—01 जून
9.	चौसा	31.05.2019	31 मई—02 जून	9.	राजपुर	01.06.2019	02—04 जून
10.	इटाढ़ी	02.06.2019	03—05 जून	10.	नावानगर	03.06.2019	04—06 जून
11.	चौंगाई	05.06.2019	06—08 जून	11.	केसठ	04.06.2019	05—07 जून
12.	झुमराँव	06.06.2019	07—09 जून	12.	सिमरी	07.06.2019	08—10 जून
13.	चक्की	08.06.2019	09—11 जून	13.	ब्रह्मपुर	08.06.2019	09—11 जून
14.	नुआँव	09.06.2019	10—12 जून	14.	कैमूर	30.05.2019	30 मई—01 जून
15.	कुदरा	30.05.2019	30 मई—01 जून	15.	चैनपुर	31.05.2019	31 मई—02 जून
16.	चाँद	01.06.2019	02—04 जून	16.	भगवानपुर	03.06.2019	04—06 जून
17.	अधौरा	02.06.2019	03—05 जून	17.	रामपुर	04.06.2019	05—07 जून
18.	भभुआ	05.06.2019	06—08 जून	18.	मोहनिया	06.06.2019	07—09 जून
19.	दुर्गावती	07.06.2019	08—10 जून	19.	दामगढ़	07.06.2019	09—11 जून
20.	नुआँव	09.06.2019	10—12 जून	20.	रोहतास	09.06.2019	10—12 जून

10.	काराकाट	03.06.2019	04–06 जून
11.	नासरीगंज	04.06.2019	05–07 जून
12.	अकोद्धीगोला	04.06.2019	05–07 जून
13.	राजपुर	05.06.2019	06–08 जून
14.	संझौली	05.06.2019	06–08 जून
15.	नोखा	06.06.2019	07–09 जून
16.	डिहरी	06.06.2019	07–09 जून
17.	तिलौथु	07.06.2019	08–10 जून
18.	रोहतास	08.06.2019	09–11 जून
19.	नौहट्टा	09.06.2019	10–12 जून

#### 7. जिला – गया

1.	गया नगर	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	मोहनपुर	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	बोधगया	30.05.2019	30 मई–01 जून
4.	वजीरगंज	31.05.2019	31 मई–02 जून
5.	मानपुर	31.05.2018	31 मई–02 जून
6.	खिजरसराय	31.05.2018	31 मई–02 जून
7.	मोहड़ा	01.06.2019	02–04 जून
8.	बथानी	01.06.2019	02–04 जून
9.	अतरी	02.06.2019	03–05 जून
10.	गुरारु	02.06.2019	03–05 जून
11.	शेरधाटी	03.06.2019	04–06 जून
12.	डोभी	03.06.2019	04–06 जून
13.	फतेहपुर	04.06.2019	05–07 जून
14.	टनकुप्पा	04.06.2019	05–07 जून
15.	गुरुआ	05.06.2019	06–08 जून
16.	बेलागंज	05.06.2019	06–08 जून
17.	परैया	06.06.2019	07–09 जून
18.	टेकारी	06.06.2019	07–09 जून
19.	कोंच	07.06.2019	08–10 जून
20.	इमामगंज	07.06.2019	08–10 जून
21.	डुमरिया	08.06.2019	09–11 जून
22.	बाँकेबाजार	08.06.2019	09–11 जून
23.	आमस	09.06.2019	10–12 जून
24.	बाराचट्टी	09.06.2019	10–12 जून

#### 8. जिला – जहानाबाद

1.	जहानाबाद	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	काको	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	मखदुमपुर	01.06.2019	02–04 जून
4.	रतनीफरीदपुर	02.06.2019	03–05 जून
5.	घोषी	03.06.2019	04–06 जून
6.	हुलासगंज	04.06.2019	05–07 जून
7.	मोदनगंज	05.06.2019	06–08 जून

#### 9. जिला – अरवल

1.	अरवल	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	कलेर	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	करपी	01.06.2019	02–04 जून
4.	सोनभद्र वंशी सूर्यपुर	02.06.2019	03–05 जून
5.	कुर्था	03.06.2019	04–06 जून

#### 10. जिला – औरंगाबाद

1.	औरंगाबाद	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	बारुन	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	ओबरा	01.06.2019	02–04 जून
4.	दाउदनगर	02.06.2019	03–05 जून
5.	हसपुरा	03.06.2019	04–06 जून
6.	गोह	04.06.2019	05–07 जून
7.	रफीगंज	05.06.2019	06–08 जून
8.	मदनपुर	06.06.2019	07–09 जून
9.	देव	07.06.2019	08–10 जून
10.	कुटुम्बा	08.06.2019	09–11 जून
11.	नवीनगर	09.06.2019	10–12 जून

#### 11. जिला – नवादा

1.	नवादा	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	पकरीबरावां	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	वारिसलीगंज	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	काशीचक	31.05.2018	31 मई–02 जून
5.	रोह	01.06.2019	02–04 जून
6.	कौआकोल	01.06.2019	02–04 जून
7.	हिसुआ	02.06.2019	03–05 जून
8.	नारदीगंज	03.06.2019	04–06 जून
9.	नरहट	04.06.2019	05–07 जून
10.	मेसकौर	05.06.2019	06–08 जून
11.	सिरदला	06.06.2019	07–09 जून
12.	रजौली	07.06.2019	08–10 जून
13.	अकबरपुर	08.06.2019	09–11 जून
14.	गोविन्दपुर	09.06.2019	10–12 जून

#### 12. जिला – मुजफ्फरपुर

1.	मुशहरी	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	मुरौल	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	कुढ़नी	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	सकरा	31.05.2018	31 मई–02 जून
5.	मोतीपुर	01.06.2019	02–04 जून
6.	साहेबगंज	01.06.2019	02–04 जून
7.	मीनापुर	02.06.2019	03–05 जून
8.	बोचहाँ	02.06.2019	03–05 जून
9.	गायधाट	03.06.2019	04–06 जून
10.	बन्दरा	03.06.2019	04–06 जून
11.	काँटी	04.06.2019	05–07 जून
12.	मङ्घवन	05.06.2019	06–08 जून
13.	सरैया	06.06.2019	07–09 जून
14.	पारु	07.06.2019	08–10 जून
15.	औराझ	08.06.2019	09–11 जून
16.	कटरा	09.06.2019	10–12 जून

#### 13. जिला – पूर्वी चम्पारण

1.	मोतिहारी	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	तेतरिया	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	फेन्हारा	30.05.2019	30 मई–01 जून
4.	मधुबन	31.05.2019	31 मई–02 जून
5.	पकडीदयाल	31.05.2018	31 मई–02 जून

6.	सुगौली	31.05.2018	31 मई–02 जून
7.	रामगढ़वा	01.06.2019	02–04 जून
8.	रक्सौल	01.06.2019	02–04 जून
9.	आदापुर	01.06.2019	02–04 जून
10.	पताही	02.06.2019	03–05 जून
11.	ढाका	02.06.2019	03–05 जून
12.	घोड़ासहन	02.06.2019	03–05 जून
13.	चिरैया	03.06.2019	04–06 जून
14.	छौड़ादानो	03.06.2019	04–06 जून
15.	बनकटवा	03.06.2019	04–06 जून
16.	तुरकौलिया	04.06.2019	05–07 जून
17.	हरसिद्धि	04.06.2019	05–07 जून
18.	अरेराज	05.06.2019	06–08 जून
19.	पहाड़पुर	05.06.2019	06–08 जून
20.	संग्रामपुर	06.06.2019	07–09 जून
21.	केसरिया	06.06.2019	07–09 जून
22.	कोटवा	07.06.2019	08–10 जून
23.	कल्याणपुर	07.06.2019	08–10 जून
24.	पिपराकोठी	08.06.2019	09–11 जून
25.	बंजरिया	08.06.2019	09–11 जून
26.	चकिया	09.06.2019	10–12 जून
27.	मेहसी	09.06.2019	10–12 जून

#### 14. जिला – पश्चिम चम्पारण

1.	बेतिया	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	मझवलीया	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	नौतन	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	बैरिया	31.05.2018	31 मई–02 जून
5.	योगापट्टी	01.06.2019	02–04 जून
6.	चनपटिया	01.06.2019	02–04 जून
7.	सिकटा	02.06.2019	03–05 जून
8.	मैनाटॉड	02.06.2019	03–05 जून
9.	नरकटियागंज	03.06.2019	04–06 जून
10.	गौनाहा	03.06.2019	04–06 जून
11.	लौरिया	04.06.2019	05–07 जून
12.	रामनगर	04.06.2019	05–07 जून
13.	बगहा – 1	05.06.2019	06–08 जून
14.	बगहा – 2	05.06.2019	06–08 जून
15.	पिपरासी	06.06.2019	07–09 जून
16.	मधुबन	07.06.2019	08–10 जून
17.	भिंतहाँ	08.06.2019	09–11 जून
18.	ठकराहाँ	09.06.2019	10–12 जून

#### 15. जिला – सीतामढी

1.	परसौनी	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	चौरौत	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	बरगनियाँ	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	मेजरगंज	31.05.2018	31 मई–02 जून
5.	बेलसंड	01.06.2019	02–04 जून
6.	बोखरा	01.06.2019	02–04 जून
7.	पुपरी	02.06.2019	03–05 जून
8.	रीगा	02.06.2019	03–05 जून

9.	सुप्पी	03.06.2019	04–06 जून
10.	नानपुर	03.06.2019	04–06 जून
11.	बाजपट्टी	04.06.2019	05–07 जून
12.	सुरसंड	04.06.2019	05–07 जून
13.	सोनवरसा	05.06.2019	06–08 जून
14.	बथनाहा	06.06.2019	07–09 जून
15.	परिहार	07.06.2019	08–10 जून
16.	झुमरा	08.06.2019	09–11 जून
17.	रुन्नीसैदपुर	09.06.2019	10–12 जून

#### 16. जिला – वैषाली

1.	हाजीपुर	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	राघोपुर	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	भगवानपुर	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	लालगंज	31.05.2018	31 मई–02 जून
5.	वैषाली	01.06.2019	02–04 जून
6.	गोरौल	01.06.2019	02–04 जून
7.	पटेढी बेलसर	02.06.2019	03–05 जून
8.	महुआ	02.06.2019	03–05 जून
9.	जन्दाहा	03.06.2019	04–06 जून
10.	बिदुपुर	03.06.2019	04–06 जून
11.	महनार	04.06.2019	05–07 जून
12.	राजापाकर	05.06.2019	06–08 जून
13.	चेहराकला	06.06.2019	07–09 जून
14.	सहदेझ बुजुर्ग	07.06.2019	08–10 जून
15.	देसरी	08.06.2019	09–11 जून
16.	पातेपुर	09.06.2019	10–12 जून

#### 17. जिला – शिवहर

1.	शिवहर	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	पिपराही	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	झुमरी कटसरी	01.06.2019	02–04 जून
4.	पुरनहिया	02.06.2019	03–05 जून
5.	तरियानी	03.06.2019	04–06 जून

#### 18. जिला – मुंगेर

1.	सदर मुंगेर	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	जमालपुर	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	धरहरा	01.06.2019	02–04 जून
4.	बरियारपुर	02.06.2019	03–05 जून
5.	हो खड़गपुर	03.06.2019	04–06 जून
6.	टेटियाबम्बर	04.06.2019	05–07 जून
7.	संग्रामपुर	05.06.2019	06–08 जून
8.	तारापुर	06.06.2019	07–09 जून
9.	असरगंज	07.06.2019	08–10 जून

#### 19. जिला – जमुई

1.	जमुई	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	ई. अलीगंज	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	सिकन्दरा	01.06.2019	02–04 जून
4.	चकाई	02.06.2019	03–05 जून
5.	सोनो	03.06.2019	04–06 जून
6.	बरहट	04.06.2019	05–07 जून
7.	लक्ष्मीपुर	05.06.2019	06–08 जून

8.	गिर्द्वार	06.06.2019	07-09 जून
9.	झाझा	07.06.2019	08-10 जून
10.	खैरा	08.06.2019	09-11 जून

**20. जिला – लखीसराय**

1.	लखीसराय	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	बडहिया	31.05.2019	31 मई-02 जून
3.	सूर्यगढ़ा	01.06.2019	02-04 जून
4.	पिपरिया	02.06.2019	03-05 जून
5.	चानन	03.06.2019	04-06 जून
6.	हलसी	04.06.2019	05-07 जून
7.	रामगढ़ चौक	05.06.2019	06-08 जून

**21. जिला – शेखपुरा**

1.	शेखपुरा	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	अरियरी	31.05.2019	31 मई-02 जून
3.	शेखोपुरसराय	01.06.2019	02-04 जून
4.	बरबीधा	02.06.2019	03-05 जून
5.	घाटकुसुम्मा	03.06.2019	04-06 जून
6.	चेवाड़ा	04.06.2019	05-07 जून

**22. जिला – खगड़िया**

1.	खगड़िया	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	अलौली	31.05.2019	31 मई-02 जून
3.	चौथम	01.06.2019	02-04 जून
4.	मानसी	02.06.2019	03-05 जून
5.	गोगरी	03.06.2019	04-06 जून
6.	परवत्ता	04.06.2019	05-07 जून
7.	बेलदौर	05.06.2019	06-08 जून

**23. जिला – बेगुसराय**

1	बेगुसराय	30.05.2019	30 मई-01 जून
2	शाम्हो	30.05.2019	30 मई-01 जून
3	तेघड़ा	31.05.2019	31 मई-02 जून
4	बखरी	31.05.2018	31 मई-02 जून
5	चेरिया बरियारपुर	01.06.2019	02-04 जून
6	बरौनी	01.06.2019	02-04 जून
7	वीरपुर	02.06.2019	03-05 जून
8	खोदावन्दपुर	02.06.2019	03-05 जून
9	छौड़ाही	03.06.2019	04-06 जून
10	गढ़पुरा	03.06.2019	04-06 जून
11	भगवानपुर	04.06.2019	05-07 जून
12	मंसूरचक	04.06.2019	05-07 जून
13	नावकोठी	05.06.2019	06-08 जून
14	बछवाड़ा	05.06.2019	06-08 जून
15	साहेबपुर कमाल	06.06.2019	07-09 जून
16	बलिया	07.06.2019	08-10 जून
17	डंडारी	08.06.2019	09-11 जून
18	मटिहानी	09.06.2019	10-12 जून

**24. जिला – पूर्णिया**

1.	पूर्णियाँ पूर्व	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	कसबा	30.05.2019	30 मई-01 जून
3.	जलालगढ़	31.05.2019	31 मई-02 जून
4.	श्रीनगर	31.05.2018	31 मई-02 जून

5.	केठनगर	01.06.2019	02-04 जून
6.	बीठकोठी	01.06.2019	02-04 जून
7.	धमदाहा	02.06.2019	03-05 जून
8.	रुपौली	03.06.2019	04-06 जून
9.	भवानीपुर	04.06.2019	05-07 जून
10.	डगरुआ	05.06.2019	06-08 जून
11.	बायसी	06.06.2019	07-09 जून
12.	अमौर	07.06.2019	08-10 जून
13.	वैसा	08.06.2019	09-11 जून
14.	बनमनखी	09.06.2019	10-12 जून

**25. जिला – कटिहार**

1.	कटिहार	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	कोढ़ा	30.05.2019	30 मई-01 जून
3.	फलका	31.05.2019	31 मई-02 जून
4.	बरारी	31.05.2018	31 मई-02 जून
5.	समेली	01.06.2019	02-04 जून
6.	कुर्सेला	01.06.2019	02-04 जून
7.	मनसाही	02.06.2019	03-05 जून
8.	मनिहारी	02.06.2019	03-05 जून
9.	अमदाबाद	03.06.2019	04-06 जून
10.	डण्डखोरा	03.06.2019	04-06 जून
11.	हसनगंज	04.06.2019	05-07 जून
12.	प्राणपुर	05.06.2019	06-08 जून
13.	कदवा	06.06.2019	07-09 जून
14.	बलरामपुर	07.06.2019	08-10 जून
15.	आजमनगर	08.06.2019	09-11 जून
16.	बारसोई	09.06.2019	10-12 जून

**26. जिला – किशनगंज**

1.	किशनगंज	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	कोचाधामन	31.05.2019	31 मई-02 जून
3.	बहादुरगंज	01.06.2019	02-04 जून
4.	दिघलबैंक	02.06.2019	03-05 जून
5.	ठाकुरगंज	03.06.2019	04-06 जून
6.	पोठिया	04.06.2019	05-07 जून
7.	टेढ़ागाछ	05.06.2019	06-08 जून

**27. जिला – अररिया**

1.	अररिया	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	फारबिसगंज	31.05.2019	31 मई-02 जून
3.	नरपतगंज	01.06.2019	02-04 जून
4.	रानीगंज	02.06.2019	03-05 जून
5.	जोकीधाट	03.06.2019	04-06 जून
6.	पलासी	04.06.2019	05-07 जून
7.	कुर्साकाँटा	05.06.2019	06-08 जून
8.	भरगामा	06.06.2019	07-09 जून
9.	सिकटी	07.06.2019	08-10 जून

**28. जिला – सारण**

1.	छपरा सदर	30.05.2019	30 मई-01 जून
2.	दिघवारा	30.05.2019	30 मई-01 जून
3.	दरियापुर	31.05.2019	31 मई-02 जून
4.	जलालपुर	31.05.2018	31 मई-02 जून

5.	परसा	01.06.2019	02—04 जून
6.	रिविलगंज	01.06.2019	02—04 जून
7.	मक्रेर	02.06.2019	03—05 जून
8.	अमनौर	02.06.2019	03—05 जून
9.	तरैया	03.06.2019	04—06 जून
10.	नगरा	03.06.2019	04—06 जून
11.	एकमा	04.06.2019	05—07 जून
12.	माँझी	04.06.2019	05—07 जून
13.	मढौरा	05.06.2019	06—08 जून
14.	सोनपुर	05.06.2019	06—08 जून
15.	गरखा	06.06.2019	07—09 जून
16.	बनियापुर	06.06.2019	07—09 जून
17.	लहलादपुर	07.06.2019	08—10 जून
18.	इसुआपुर	07.06.2019	08—10 जून
19.	पानापुर	08.06.2019	09—11 जून
20.	मशरख	09.06.2019	10—12 जून

**29. जिला – सिवान**

1.	सिवान सदर	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	गुठनी	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	दरौली	31.05.2019	31 मई—02 जून
4.	हुसैनगंज	31.05.2018	31 मई—02 जून
5.	आन्दर	01.06.2019	02—04 जून
6.	रघुनाथपुर	01.06.2019	02—04 जून
7.	सिसवन	02.06.2019	03—05 जून
8.	हसनपुरा	02.06.2019	03—05 जून
9.	दरौंदा	03.06.2019	04—06 जून
10.	महाराजगंज	03.06.2019	04—06 जून
11.	बसंतपुर	04.06.2019	05—07 जून
12.	गोरेयाकोठी	04.06.2019	05—07 जून
13.	भगवानपुर हाट	05.06.2019	06—08 जून
14.	लकड़ीनबीगंज	05.06.2019	06—08 जून
15.	बड़हरिया	06.06.2019	07—09 जून
16.	पचरुखी	06.06.2019	07—09 जून
17.	जीरादेई	07.06.2019	08—10 जून
18.	नौतन	08.06.2019	09—11 जून
19.	मैरवा	09.06.2019	10—12 जून

**30. जिला – गोपालगंज**

1.	गोपालगंज	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	बैंकुठपुर	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	सिंधवलिया	31.05.2019	31 मई—02 जून
4.	बरौली	31.05.2018	31 मई—02 जून
5.	कुचायकोट	01.06.2019	02—04 जून
6.	मांझा	01.06.2019	02—04 जून
7.	थावे	02.06.2019	03—05 जून
8.	हथुआ	03.06.2019	04—06 जून
9.	उचकागांव	04.06.2019	05—07 जून
10.	फुलवरिया	05.06.2019	06—08 जून
11.	भौरे	06.06.2019	07—09 जून
12.	विजयीपुर	07.06.2019	08—10 जून
13.	कटेया	08.06.2019	09—11 जून

14.	पंचदेवरी	09.06.2019	10—12 जून
<b>31. जिला – दरभंगा</b>			
1.	दरभंगा	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	हनुमाननगर	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	कु 0 स्थान पूर्वी	31.05.2019	31 मई—02 जून
4.	बहादुरपुर	31.05.2018	31 मई—02 जून
5.	मनीगाढ़ी	01.06.2019	02—04 जून
6.	केवटी	01.06.2019	02—04 जून
7.	जाले	02.06.2019	03—05 जून
8.	सिंहबाड़ा	02.06.2019	03—05 जून
9.	हायाघाट	03.06.2019	04—06 जून
10.	बेनीपुर	03.06.2019	04—06 जून
11.	अलीनगर	04.06.2019	05—07 जून
12.	बहेड़ी	04.06.2019	05—07 जून
13.	विरौल	05.06.2019	06—08 जून
14.	गौराबौराम	05.06.2019	06—08 जून
15.	कु 0 स्थान	06.06.2019	07—09 जून
16.	घनघ्यामपुर	07.06.2019	08—10 जून
17.	कीरतपुर	08.06.2019	09—11 जून
18.	तारडीह	09.06.2019	10—12 जून
<b>32. जिला – मधुबनी</b>			
1.	राजनगर	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	पण्डौल	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	बाबबूरही	31.05.2019	31 मई—02 जून
4.	खुटौना	31.05.2018	31 मई—02 जून
5.	रहिका	01.06.2019	02—04 जून
6.	बिस्फी	01.06.2019	02—04 जून
7.	बेनीपट्टी	02.06.2019	03—05 जून
8.	मधवापुर	02.06.2019	03—05 जून
9.	हरलाखी	03.06.2019	04—06 जून
10.	बासोपट्टी	03.06.2019	04—06 जून
11.	जयनगर	04.06.2019	05—07 जून
12.	लदनियाँ	04.06.2019	05—07 जून
13.	खजौली	05.06.2019	06—08 जून
14.	कलुआही	05.06.2019	06—08 जून
15.	झज्जांरपुर	06.06.2019	07—09 जून
16.	अधंराठाड़ी	06.06.2019	07—09 जून
17.	लखनौर	07.06.2019	08—10 जून
18.	मधेपुर	07.06.2019	08—10 जून
19.	फुलपरास	08.06.2019	09—11 जून
20.	घोरडीहा	08.06.2019	09—11 जून
21.	लौकही	09.06.2019	10—12 जून
<b>33. जिला – समस्तीपुर</b>			
1.	समस्तीपुर	30.05.2019	30 मई—01 जून
2.	मोहनपुर	30.05.2019	30 मई—01 जून
3.	मोहिउद्दीननगर	31.05.2019	31 मई—02 जून
4.	हसनपुर	31.05.2018	31 मई—02 जून
5.	सिंधिया	01.06.2019	02—04 जून
6.	शिवाजीनगर	01.06.2019	02—04 जून
7.	सरायरंजन	02.06.2019	03—05 जून

३४

8	पटोरी	02.06.2019	03–05 जून
9	उजियारपुर	03.06.2019	04–06 जून
10	विभूतिपुर	03.06.2019	04–06 जून
11	रोसड़ा	04.06.2019	05–07 जून
12	पूसा	04.06.2019	05–07 जून
13	कल्याणपुर	05.06.2019	06–08 जून
14	खानपुर	05.06.2019	06–08 जून
15	मोरवा	06.06.2019	07–09 जून
16	ताजपुर	06.06.2019	07–09 जून
17	दलसिंहसराय	07.06.2019	08–10 जून
18	विद्यापतिनगर	07.06.2019	08–10 जून
19	बिथान	08.06.2019	09–11 जून
20	वारिसनगर	09.06.2019	10–12 जून

#### 34. जिला – सहरसा

1.	कहरा	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	पतरघट	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	सोनवर्षा	01.06.2019	02–04 जून
4.	सौखाजार	02.06.2019	03–05 जून
5.	सत्तरकट्टैया	03.06.2019	04–06 जून
6.	महिषी	04.06.2019	05–07 जून
7.	सिमरीबख्तियारपुर	05.06.2019	06–08 जून
8.	सलखुआ	06.06.2019	07–09 जून
9.	बनमाईटहरी	07.06.2019	08–10 जून
10.	नवहट्टुडा	08.06.2019	09–11 जून

#### 35. जिला – सुपौल

1.	सुपौल	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	पिपरा	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	त्रिवेणीगंज	01.06.2019	02–04 जून
4.	किशनपुर	02.06.2019	03–05 जून
5.	सरायगढ़	03.06.2019	04–06 जून
6.	राधोपुर	04.06.2019	05–07 जून
7.	प्रतापगंज	05.06.2019	06–08 जून
8.	छातापुर	06.06.2019	07–09 जून
9.	बसंतपुर	07.06.2019	08–10 जून
10.	निर्मली	08.06.2019	09–11 जून
11.	मरैना	09.06.2019	10–12 जून

#### 36. जिला – मधेपुरा

1.	मधेपुरा	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	धैलाड़	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	गम्हरिया	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	शंकरपुर	31.05.2019	31 मई–02 जून
5.	सिंहेश्वर	01.06.2019	02–04 जून
6.	कुमारखण्ड	02.06.2019	03–05 जून
7.	चौसा	03.06.2019	04–06 जून
8.	पुरैनी	04.06.2019	05–07 जून
9.	आलमनगर	05.06.2019	06–08 जून
10.	ग्वालपाड़ा	06.06.2019	07–09 जून
11.	मुरलीगंज	07.06.2019	08–10 जून
12.	बिहारीगंज	08.06.2019	09–11 जून
13.	उदाकिशुनगंज	09.06.2019	10–12 जून

#### 37. जिला – भागलपुर

1.	सबौर	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	इस्माइलपुर	30.05.2019	30 मई–01 जून
3.	गोपालपुर	31.05.2019	31 मई–02 जून
4.	शाहकुड़	31.05.2018	31 मई–02 जून
5.	बिहपुर	01.06.2019	02–04 जून
6.	नाथनगर	01.06.2019	02–04 जून
7.	नारायणपुर	02.06.2019	03–05 जून
8.	जगदीशपुर	02.06.2019	03–05 जून
9.	खरीक	03.06.2019	04–06 जून
10.	सन्हौला	03.06.2019	04–06 जून
11.	रंगराचौक	04.06.2019	05–07 जून
12.	कहलगांव	05.06.2019	06–08 जून
13.	नवगछिया	06.06.2019	07–09 जून
14.	गोराडीह	07.06.2019	08–10 जून
15.	सुलतानगंज	08.06.2019	09–11 जून
16.	पीरपैंती	09.06.2019	10–12 जून

#### 38. जिला – बाँका

1.	बाँका	30.05.2019	30 मई–01 जून
2.	बाराहाट	31.05.2019	31 मई–02 जून
3.	बौंसी	01.06.2019	02–04 जून
4.	रजौन	02.06.2019	03–05 जून
5.	घोरैया	03.06.2019	04–06 जून
6.	कटोरिया	04.06.2019	05–07 जून
7.	चांदन	05.06.2019	06–08 जून
8.	बेलहर	06.06.2019	07–09 जून
9.	फुलीझूमर	07.06.2019	08–10 जून
10.	शंभूगंज	08.06.2019	09–11 जून
11.	अमरपुर	09.06.2019	10–12 जून

निदेशक  
बामेती, बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं  
प्रसार प्रशिक्षण संस्थान  
(बामेती), पटना